

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 90 / 2013

दायर दिनांक 03.05.2013

सोहनी	उनवान	लेहरू वगैरा
बनाम		

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आ0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक: 08.09.2020

—:निर्णय:—

पतरावली वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने के प्रार्थना पत्र पर सिगेह से तलब हुई | वादीया हाजिर वादीया की पहचान अधिवक्ता श्री किशन लाल जाट ने की| प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादीया अधिवक्ता ने निवेदन किया की वाद पत्र में कुछ तकनीकी कमी रह जाने से उक्त वाद पत्र को नहीं चलाना चाहते है तथा नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति के साथ उक्त वाद पत्र को विद्रो करना चाहते है| हमने प्रार्थना पत्र की इबारत पढकर वादीया को सुनाई सुन समझ कर स्वीकार की व् आदेशिका पर अंगूठा निशानी की| अतः वाद पत्र नवीन वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ इसी स्तर पर कार्यवाही ड्रॉप की जाती है| पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो| आदेश सुनाया गया|



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कपासन

